दिनांक 27.03.2020 को कँवल तनुज, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, कटिहार की अध्यक्षता में COVID-19 (Corona Virus) के प्रभाव के आलोक में तत्काल संभावित संक्रमण के विस्तार को रोकने हेतु विभिन्न कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. पंजी के अनुसार।

2. बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा COVID-19 (Corona Virus) के प्रभाव के आलोक में तत्काल संभावित संक्रमण के विस्तार को रोकने हेतु विभिन्न कोषांग के नोडल पदाधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गयी एवं निम्नांकित निदेश दिये गये :–

खाद्यान्न आपूर्ति :

1– जिला आपूर्ति पदाधिकारी,कटिहार को निदेशित किया गया कि थोक विक्रेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित कर/ नियमित रूप से बैठक का आयोजन कर खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में खाद्य सामग्री की कमी नहीं होनी चाहिए।

2–यह भी निदेश दिया गया कि खाद्य सामग्री कालाबाजारी करनेवाले को चिन्हित कर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा नियमित रूप से छापामारी करायें।

3–यह भी निदेश दिया गया कि खाद्य सामग्री निर्धारित मूल्य पर बिक्री हो रहा है तो इस संबंध में सभी अनुमण्डल पदाधिकारी से दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करना सुनिश्चित करें।

4–यह भी निदेशित किया गया कि पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा से परिवहन मार्ग द्वारा जिलान्तर्गत आनेवाले सामग्रियों में उत्पन्न होनेवाले कठिनाईयों का निराकरण के लिए मालदा एवं दिनाजपुर के अनुमण्डल प्रशासन से सम्पर्क स्थापित कर तुरत इसका समाधान सुनिश्चित करें।

5– अनुमण्डल पदाधिकारी,बारसोई/ मनिहारी को निदेशित किया गया कि उनके स्तर से खाद्य सामग्री का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है कि उनके क्षेत्रान्तर्गत ऑटा, दाल,तेल,आलू एवं प्याज कितनी मात्रा में कितने दिनों के लिए उपलब्ध है। यह भी निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन आज ही भेजना सुनिश्चित करें।

6–यह भी निदेश दिया गया कि खाद्य सामग्री कालाबाजारी करनेवाले को चिन्हित कर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें और नियमित रूप से छापामारी करें तथा प्रतिदिन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

7– यह भी निदेश दिया गया कि खाद्य सामग्री उनके क्षेत्र में Normal rate पर आम जनों को मिल रहा है तो भी इस संबंध में दैनिक प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

8–यह भी निदेश दिया गया कि सब्जी बाजार में अनावश्यक भीड़ न हो,इसे सुनिश्चित करें।

9–यह भी निदेशित किया गया कि खाद्य सामग्री की दुकानें संध्या 06.00 बजे के बाद खुली नहीं रहे,इसे सुनिश्चित करें।

10–यह भी निदेश दिया गया कि ऑटा मिल का अधिक से अधिक संख्या में भारतीय खाद्य निगम से निबंधन कराना सुनिश्चित करें।

11–अनुमण्डल पदाधिकारी,मनिहारी को निदेशित किया गया कि अमदावाद प्रखण्ड के ग्राम–दिल्ली दिवानगंज का कतिपय व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ हावड़ा अथवा मालदा से कटिहार मेडिकल कॉलेज में आने की सूचना प्राप्त है परन्तु जो डाटा उपलब्ध कराया गया है,उसमें इन दोनो का नाम नहीं है। यह गंभीर मामला है, इसे स्वंय देखें और स्पष्ट रूप से उन्हें निदेशित किया गया कि जो डाटा उनके द्वारा समर्पित किये गये हैं उसके बाहर कोई मामला प्रकाश में आता है तो सभी संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

12–यह भी निदेश दिया गया कि उक्त व्यक्ति के परिजन से सम्पर्क स्थापित कर उनके सम्पर्क में आनेवाले सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लेना है और सभी को Home Quarantine में रखना सुनिश्चित करें तथा सबों का डाटावेस तैयार करायें और आशा/सेविका के साथ के साथ उसे सम्बद्ध कर दें ताकि उसके स्थिति पर वे नजर रख सकें।

13–यह भी निदेश दिया गया कि सूची के अनुसार क्लस्टर बना देंगे। ब्लड टेस्ट पॉजिटिव होने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए उस क्षेत्र को सील कर देंगे और प्रवेश एवं निकास द्वार

चिन्हित करते हुए उन स्थानों पर दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

14–यह भी निदेश दिया गया कि हर हालत में दिनांक–28.03.2020 तक वर्णित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

15–यह भी निदेश दिया गया कि ग्राम स्तर पर टीम का गठन करें और उसमें चौकीदार/ टोला सेवक, आशा, सेविका एवं जीविका दीदी आदि को सम्मिलित कर क्षेत्रों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के साथ निगरानी रखने हेतु निदेशित करें।

16–प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन,कटिहार को निदेशित किया गया कि इसके लिए वे प्रपत्र विकसित कर दें।

हेल्पलाईन कोषांग :

1– प्रभारी पदाधिकारी, हेल्पलाईन कोषांग को निदेशित किया गया कि जितने डाटावेस तैयार किये गये हैं,उनके सम्पर्क करते रहे।

2–यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक दिन हर व्यक्ति का ट्रेकिंग नियंत्रण कक्ष से करायें।

Community Kitchen :

1– जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि उच्च विद्यालय, कटिहार में प्रारम्भ किए गए Community Kitchen में सभी व्यवस्था सुनिश्चित करें और इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई न होने पाए, इसे सुनिश्चित करें।

2– जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि महिला के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित करें और महिला जोन में कोई प्रवेश नहीं करे,इसे सुनिश्चित करें।

3–अनुमण्डल पदाधिकारी,कटिहार को निदेशित किया गया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस एवं महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अविलम्ब सुनिश्चित करें। साथ उक्त स्थल पर दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/ बलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करें।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

27/3

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक– 915 /2020 /सी० दिनांक 30.03. 2020 ई०।

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक,कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी कोषांग के वरीय/ नोडल/ सहायतार्थ पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कटिहार/ बारसोई/ मनिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचलाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई०टी०मैनेजर,कटिहार को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से संसूचित करने हेतु प्रेषित।

27/3

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक– 915 /2020 /सी० दिनांक 30.03. 2020 ई०।

प्रतिलिपि– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ अग्रसारित।

27/3

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

D:\N.K.P-16\Pro Corona 27-3-2020.docx